



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1835 / 2024

1 – जोगाराम कड्डी पिता श्री पोडिया कड्डी, 36 वर्ष, निवासी परमपारा मादी, पी एस किरंदुल, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।

-----अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना के द्वारा –किरंदुल, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।

-----उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी हेतु : श्री लक्ष्मीन कश्यप, अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

24.03.2025

1. पक्षों की सहमति से, वर्तमान प्रकरण की सुनवाई अंततः की जाती है। 2. यह दाण्डिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विशेष सत्र (पॉक्सो) प्रकरण क्रमांक 117/2023 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 26.09.2024 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, (छ.ग.) द्वारा अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करार दिया गया है तथा निम्नानुसार दण्डादेश दिया गया है:—



निम्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया	दंड पारित किया गया
भा.दं. सं. की धारा 363	3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500/- रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भा.दं. सं. की धारा 366	3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500/- रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास।
पॉक्सो की धारा 4(1) सहपठित भा.दं. सं. की धारा 376	10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000/- रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास।
सभी दंड एक साथ चलेंगी।	

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि पीड़िता ने वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि 07.11.2023 को वर्तमान अपीलकर्ता ने उसे धमका कर घर के बाहर बुलाया और उसके बाद उसे मदाधी गेचापारा जंगल में ले गया और जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोकसो अधिनियम की धारा 04, 06 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी। अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलकर्ता के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर किया गया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए कुल 11 साक्षियों का परीक्षण किया। अपीलकर्ता (अभियुक्त) के कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उसने अपने विरुद्ध पेश किए गए सभी साक्ष्यों से इनकार किया, तथा स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया। यद्यपि, उन्होंने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के तहत अभियुक्त/अपीलकर्ता को इस निर्णय में वर्णित तरीके से दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया। इसलिए यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय अभियोक्ता की आयु 16 वर्ष, 9 महीने और 22 दिन थी, परंतु यह दिखाने के लिए कोई प्रामाणिक दस्तावेजी साक्ष्यों दायर नहीं किया गया था कि अभियोक्ता कथित दिनांक पर एक नाबालिग लड़की थी। 10 वीं कक्षा की मार्कशीट (एक्सपी-9) में 15.01.2007 बताई गई जन्मतिथि को निर्णायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्त दस्तावेज के लेखक की



जांच नहीं की जा सकी और जिस आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि उक्त स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई है, वह भी साबित नहीं हुआ है। पीड़िता की वास्तविक आयु के निर्धारण के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई कोटवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र या अस्थिभंग परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता का अपीलकर्ता के साथ प्रेम संबंध था और वह स्वयं अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी और उसने मोटरसाइकिल से अपीलकर्ता के साथ जाते समय किसी से कोई परिवादी नहीं की थी। उसने अपीलकर्ता द्वारा ले जाए जाने के दौरान और उसके साथ रहने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी कोई शोर नहीं मचाया। पीड़िता के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और इसलिए अपीलकर्ता के विरुद्ध भा.दं. सं. और पोक्सो अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और पीडब्लू-1/पीड़िता के बयान पर भरोसा किया, लेकिन उसका बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसके बयान में कई विरोधाभास, चूक और विकास हैं, जिन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने ठीक से विचार नहीं किया। पुलिस, मजिस्ट्रेट और न्यायालय के समक्ष दर्ज अभियोक्ता के कथनों से यह ज्ञात होता है कि वह एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है और अपीलकर्ता के कृत्य में उसकी सहमति प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पाया गया है, हालांकि आरोप है कि अपीलकर्ता ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। वास्तव में, अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच प्रेम संबंध था और इसलिए, वह स्वेच्छा से उसके घर गई और अपनी मर्जी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मेडिकल साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि अभियोक्ता के शरीर पर जबरन यौन संबंध बनाने का कोई निशान नहीं था। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी उचित संदेह से परे अपना प्रकरण साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि घटना की तिथि पर पीड़िता नाबालिग थी और उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, जो 10 वीं कक्षा की मार्कशीट से साबित होता है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 15.01.2007 दर्ज है। नाबालिग लड़की होने के कारण अपीलकर्ता ने उसका व्यपहरण कर लिया और उसे धमकी देकर माता-पिता की वैध संरक्षकता से दूर रखा तथा उसके साथ यौन संबंध बनाए, जिससे भा.दं. सं. और पोक्सो अधिनियम के तहत परिभाषित बलात्कार का अपराध हुआ। सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया, जो न्यायोचित है और अपीलकर्ता की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई बातों का अवलोकन किया गया।



11. अभियोक्ता की आयु पर विचार करने के लिए, इस न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य/सामग्री की परीक्षा करनी है। अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से 10 वीं कक्षा की मार्कशीट (एक्स.पी-9) पर भरोसा किया है, जिसे पुलिस ने जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-8) के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें अभियोक्ता की जन्म तिथि 15.01.2007 बताई गई है। हालांकि, किसी भी लेखक ने यह परीक्षा नहीं की है कि अंकतालिका में जन्मतिथि किस आधार पर लिखी गई है। दाखिल खारिज रजिस्टर भी नहीं है और पीड़िता की उम्र के बारे में कोई अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है।

12. पीडब्लू-1 पीड़िता ने अपने कथन में कहा है कि वह 11 वीं कक्षा में है और उसकी जन्मतिथि 15.01.2007 है। उसने अपने कथन में कुछ भी नहीं बताया है कि वह किस आधार पर कह रही है कि उसकी जन्मतिथि 15.01.2007 है। अभियोक्ता की पीडब्लू-2 माता एवं पीडब्लू-3 पिता ने अपने बयान में कहा है कि अभियोक्ता की जन्मतिथि के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, फिर भी प्रवेश के समय विद्यालय में जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई है। साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता की जन्मतिथि के समर्थन में कक्षा-10 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

13. रविन्द्र सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 (5) एससीसी 584 के प्रकरण में, बिराद मल सिंहवी बनाम आनंद पुरोहित, 1988 अनुपूरक एससीसी 604 के प्रकरण में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

"26. धारा 35 के तहत किसी दस्तावेज को स्वीकार्य बनाने के लिए, तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए: सबसे पहले, जिस प्रविष्टि पर भरोसा किया जाता है वह किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में होनी चाहिए; दूसरी बात, यह किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य को बताने वाली प्रविष्टि होनी चाहिए; और तीसरी बात, यह किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा विशेष रूप से निर्धारित कर्तव्य के निष्पादन में बनाई जानी चाहिए। स्कूल रजिस्टर में की गई जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के तहत सुसंगत और स्वीकार्य है, लेकिन स्कूल रजिस्टर में किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में प्रविष्टि उस व्यक्ति की उम्र को साबित करने के लिए बहुत साक्ष्य मूल्य की नहीं है, जिस पर उम्र दर्ज की गई थी।"

14. अलामेलु एवं अन्य बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत, 2011(2)एससीसी-385 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। हालांकि, ऐसे दस्तावेज की स्वीकार्यता पीड़ित की उम्र को साबित करने के लिए बहुत अधिक साक्ष्य मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि उम्र दर्ज करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति की जांच न की जाए जिसने प्रविष्टि की है या जिसने जन्म



तिथि दी है।अलमेलु (सुप्रा) में अपने निर्णय के कंडिका 40,42,43,44 और 48 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, एक्स.पी16 से ज्ञात होता है कि लड़की की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी।इसलिए, उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तारीख यानी 31 जुलाई, 1993 को उसकी आयु 16 वर्ष (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) से अधिक होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र सरकारी स्कूल द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है।इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। हालांकि, ऐसे दस्तावेज की स्वीकार्यता लड़की की उम्र साबित करने के लिए बहुत साक्ष्य मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि उस सामग्री की अनुपस्थिति में जिसके आधार पर उम्र दर्ज की गई थी।स्थानांतरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति की परीक्षा न की जाए, जिसने प्रविष्टि की या जिसने जन्म तिथि दी। 42. इस बात पर विचार करते हुए कि दस्तावेज में दर्ज तथ्यों को किस तरह साबित किया जा सकता है, इस न्यायालय ने बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित 1 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:---

"विद्वानों के रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति की जांच न की जाए जिसने प्रविष्टि की है या जिसने जन्म तिथि दी है... केवल इसलिए कि दस्तावेज एक्स. 8, 9, 10, 11 और 12 साबित हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि दस्तावेजों की सामग्री भी साबित हो गई है। दस्तावेज एक्स. 8, 9, 10, 11 और 12 का केवल सबूत दस्तावेजों में बताई गई सभी सामग्री या जन्म तिथि की शुद्धता के सबूत के बराबर नहीं होगा।चूंकि तथ्य की सच्चाई, अर्थात् हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि विवाद में थी, इसलिए उपरोक्त दो गवाहों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मात्र सबूत दस्तावेजों के तथ्यों या सामग्री की सच्चाई का सबूत नहीं देता है। विवाद में तथ्यों की सच्चाई या अन्यथा, अर्थात् दस्तावेजों में उल्लिखित दो उम्मीदवारों की जन्मतिथि स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है, यानी उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद में तथ्यों की सत्यता के लिए जमानत दे सकते हैं।उत्तरवादी द्वारा तथ्यों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अर्थात् हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि। इन परिस्थितियों में, उपरोक्त दस्तावेजों 1988 (सप्लीमेंट) एससीसी 604 में उल्लिखित जन्म तिथियों का कोई सत्यापनीय मूल्य नहीं है और उनमें उल्लिखित जन्म तिथियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

43. इसी विधि के प्रस्ताव को इस न्यायालय ने नर्बदा देवी गुप्ता बनाम बीरेंद्र कुमार जायसवाल के मामले में दोहराया है, जहां इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"विधिक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है कि किसी दस्तावेज को न्यायालय द्वारा प्रदर्शित के रूप में प्रस्तुत करना और चिह्नित करना मात्र उसकी विषय-वस्तु का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता है।इसका क्रियान्वयन स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात् "उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवादक में तथ्यों की सत्यता की गारंटी दे सकते हैं"। "44. हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य का उपरोक्त भार नहीं उठाया



गया है। पिता ने अपने साक्ष्य में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रधानाध्यापक से बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की गई है। इसलिए, लड़की की उम्र निश्चित रूप से तय करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

48. हम आगे यह भी देख सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, एक सार्वजनिक दस्तावेज़ को सिविल और साथ ही दाण्डिक कार्यवाही में समान मानक लागू करके परखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:---

"विद्यालय रजिस्टर में या अन्य रूप से दर्ज व्यक्ति की आयु का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जैसे प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह के पंजीकरण के लिए; सीलिंग विधि के अंतर्गत पृथक इकाई प्राप्त करने के लिए; तथा यहां तक कि सिविल फोरम में वाद करने के लिए भी, जैसे न्यायालय में अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहां कोई वाद इस आधार पर दायर किया गया हो कि वादी नाबालिग होने के कारण उसका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था या उसकी ओर से किया गया कोई लेन-देन नाबालिग होने के कारण अमान्य था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत किसी पक्षकार की आयु निर्धारित करने के लिए न्यायालय को भी यही मानक लागू करना होगा। अपहरण या बलात्कार या इसी तरह के अपराध के मामले में अभियुक्त के मामले में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है, जहां पीड़ित या पीड़ित ने यद्यपि अभियुक्त के साथ सहमति व्यक्त की हो, लेकिन यदि विद्यालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकरण में अभियुक्त को अनुचित रूप से दोषी ठहराया जा सकता है।"

15. ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2022 (8) एससीसी 602 के मामले में, विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 33 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

33. उपरोक्त निर्णयों की श्रृंखला के संचयी विचार पर जो बात सामने आती है वह इस प्रकार है:

33.2.2. यदि किशोर होने का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) के प्रावधान को धारा 9 की उपधारा (2) के साथ लागू या पढ़ा जाना होगा, ताकि व्यक्ति की यथासंभव निकटतम आयु बताते हुए निष्कर्ष दर्ज करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य मांगा जा सके।

XXXX

XXXX

XXXX



33.3. जब किशोर होने का दावा किया जाता है, तो दावा करने वाले व्यक्ति पर न्यायालय को प्रारंभिक दायित्व से मुक्त करने के लिए संतुष्ट करने का दायित्व होता है। हालांकि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए किशोर न्याय नियम 2007 के नियम 12(3)(ए)(i), (ii), और (iii) या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। उक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने की धारणा बनाई जा सकती है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने की धारणा बनाई जा सकती है।

33.4. हालांकि, उक्त धारणा किशोर होने की आयु का निर्णायक सबूत नहीं है और इसे विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए प्रति-साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है।

33.5. न्यायालय द्वारा जांच की प्रक्रिया वैसी ही नहीं है जैसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष वांछित व्यक्ति की किशोर के रूप में आयु घोषित करना, जब मामला संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए लंबित है। जांच के प्रकरण में न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है, लेकिन जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (2) के अनुसार आयु का निर्धारण होता है, तो साक्ष्य के आधार पर घोषणा की जाती है। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी। इस प्रकार, जांच में सबूत का मानक उस कार्यवाही में अपेक्षित मानक से भिन्न होता है, जहां किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण और घोषणा, जांचे गए साक्ष्य के आधार पर की जानी होती है और केवल तभी स्वीकार की जाती है, जब वह ऐसी स्वीकृति के योग्य है।

33.6. किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। यह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर तथा प्रत्येक मामले में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।

33.7. इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जब अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि वह किशोर है, तो अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

33.8. यदि एक ही साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय को सीमावर्ती मामलों में आरोपी को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ विधि के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों को लागू किया जा सके। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेजे अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा न किया जाए।

33.9. जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विचार किया जाए, क्योंकि सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में रखे गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज की विश्वसनीयता निजी दस्तावेजों से अधिक होगी।



33.10.कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप है, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, परंतु कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

33.11.अस्थिकरण परीक्षण आयु निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति की आयु के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं, बल्कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में विचार करने के लिए केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक हैं।"

16. हाल ही में, पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, 2023 (एससीसी ऑनलाइन) एससी 846 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 14 से 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"14. जेजे अधिनियम की धारा 94 (2) (iii) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके अभाव में निगम या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और उसके बाद ही इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में संबंधित प्राधिकरण, यानी समिति या बोर्ड या न्यायालय के आदेश पर आयोजित "अस्थि परीक्षण" या "किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण" के माध्यम से आयु निर्धारित की जानी है।वर्तमान मामले में, यह माना जाता है कि केवल स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर विचार किया गया था, न कि जन्म तिथि प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र पर। एक्स सी1, यानी स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र में पीड़िता की जन्म तिथि 11.07.1997 दर्शाई गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा बुलाए गए साक्षी अर्थात् सीडब्ल्यू-1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष पर सदैव यह आरोप साबित करने का भार होता है कि वह क्या आरोप लगाता है; इसलिए, अभियोजन पक्ष ऐसे दस्तावेज पर भरोसा नहीं कर सकता था जिस पर उसने कभी भरोसा नहीं किया था।इसके अलावा, डीडब्ल्यू-3, संबंधित राजस्व अधिकारी (उप तहसीलदार) ने शपथ पर कहा था कि जन्म और मृत्यु के संबंध में वर्ष 1997 के अभिलेख गायब थे। चूंकि यह धारा 94(2)(i) में उल्लिखित दस्तावेजों के किसी भी वर्ग के विवरण का जवाब नहीं देता था क्योंकि यह केवल एक हस्तांतरण प्रमाण पत्र था, इसलिए एक्स सी-1 पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि अपराध के समय एम की उम्र 18 वर्ष से कम थी। ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में हाल ही में दिए गए निर्णय में, इस न्यायालय ने उन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित किया जहां आयु निर्धारण की आवश्यकता होती है।न्यायालय पूर्ववर्ती किशोर न्याय नियम के नियम 12 (जो कि समान है) को जेजे अधिनियम की धारा 94 के साथ विचार कर रहा था, तथा उसने निम्न प्रकार से निर्णय दिया:



“20. जेजे नियम, 2007 का नियम 12 आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। विधि के साथ संघर्षरत व्यक्ति की किशोरता का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए। परंतु न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा आयु निर्धारण की जांच निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके की जाती थी:

- (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में;
- (ii) उपस्थित होने से जन्म तिथि प्रमाण पत्र; और उसके अभाव में;
- (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

केवल उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अभाव में, किशोर या बच्चे की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जा सकती है। यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारण करत समय, एक वर्ष के मार्जिन के भीतर कम उम्र पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दिया जा सकता है।”

16. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से जेजे अधिनियम की धारा 94 (2) में विभिन्न विकल्पों के बारे में बोलते हुए, इस अदालत ने संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में माना कि:

“धारा 94 (2) का खंड (i) स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र और 2021 (12) एससीआर 502 [2019]

9 एससीआर 735 संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को एक ही श्रेणी (अर्थात् (i) ऊपर) में रखता है। इसके अभाव में श्रेणी (ii) निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत का जन्म प्रमाण

पत्र प्राप्त करने का प्रावधान करती है। केवल (i) और (ii) की अनुपस्थिति में ही चिकित्सा विश्लेषण के माध्यम से आयु निर्धारण प्रदान किया जाता है। धारा 94(2)(ए)(आई) उन प्रावधानों पर महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाती है जो 2000 के अधिनियम के तहत बनाए गए 2007 के नियमों के नियम 12(3)(ए) में निहित थे। नियम 12(3)(ए)(आई) के तहत मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी गई थी और प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में ही पहले जिस स्कूल में गए थे, वहां से जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता था। धारा 94(2)(आई) में स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र और मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है।”

17. अबुजर हुसैन @ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में, इस न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को किशोर (या निर्धारित आयु से कम)



साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो यह दावा कर रहा है। इसके अलावा, उस निर्णय में, न्यायालय ने दस्तावेजों के पदानुक्रम को इंगित किया जो वरीयता के क्रम में स्वीकार किए जाएंगे।"

17. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, पीड़िता की आयु के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर उचित विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय को यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस और विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं पेश किया गया है कि अभियोक्ता/पीड़िता नाबालिग थी और घटना की तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, इस तथ्य के बावजूद कि विचारण न्यायालय ने उसे आक्षेपित निर्णय में नाबालिग माना है। तदनुसार, यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को खारिज करना उचित समझता है कि घटना की तिथि पर पीड़िता नाबालिग थी।

18. जहां तक अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ अपहरण और जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का विवादक है, इस न्यायालय ने पीड़िता के साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। अपने साक्ष्य पीडब्लू-1 में अभियोक्ता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह अपीलकर्ता को जानती थी और वे दोनों रिश्ते में हैं। जब वह पीड़िता को जंगल क्षेत्र में लाया, तो उसने इसका विरोध नहीं किया और वह अपनी मर्जी से उसके साथ शामिल हो गई और उसके बाद शारीरिक संबंध स्थापित किए। उसने आगे कहा कि उनके बीच प्रेम संबंध है।

19. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियोक्ता ने कहीं भी यह खुलासा नहीं किया है कि किसी भी समय अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई जबरदस्ती यौन संबंध बनाए हैं। डॉ. निधि मेश्राम (पीडब्लू-11) ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली। द्वितीयक यौन अंग पूरी तरह से विकसित थे और अभियोक्ता यौन संबंध बनाने की आदी थी।

20. इस प्रकार, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से अभियोक्ता की आयु और आचरण के संबंध में साक्ष्य पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस राय का है कि अभियोक्ता की आयु सत्यापित नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि घटना के समय अभियोक्ता नाबालिग थी।



अभियोक्ता के आचरण को उसकी संपूर्णता में देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि वह अपीलकर्ता के कृत्य में सहमति देने वाली पक्षकार थी और उसके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। मामले के साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने पीड़िता को उसके पिता की वैध सुरक्षा से उसकी सहमति के बिना बहला-फुसलाकर या व्यपहरण करके उससे विवाह करने या उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाने के आशय से व्यपहरण किया था। वह आवेदक के साथ उसके घर गई और उसके बाद उसने बिना किसी प्रतिरोध के शारीरिक संबंध स्थापित किए। इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ पोक्सो की धारा 4(1) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध नहीं बनता है।

21. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 26.09.2024 को दोषसिद्धि और दंड के आदेश का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। 22. अपीलकर्ता के कारागार में होने की सूचना है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

23. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय अभिलेख (टीसीआर) को अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

सही/-

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

